बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष सं0–06132242305 (का0) ई–मेल–sdmbarh@gmail.com

पत्रांक- /सा0सु0को0, दिनांक 2020

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बाढ़ अनुमण्डल।

विषय – **कोविड–19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम, 2016 की धारा–72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यो की समीक्षा करने व आगामी विधानसभा चुनाव–2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार का पत्रांक–1195/आ0नि0को0, दिनांक 04.09.2020 के संबंध में कहना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार का बाढ़ अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डवार विषयांकित कार्यो की समीक्षा का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रखण्डवार अलग–अलग समीक्षा किया जायेगा। राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के पत्र में दिये गये निर्देश के आलोक में अपने–अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, अंचल अधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ–साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि को सूचित करते हुए उन्हें उक्त समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से सूचना देते हुए उपस्थिति सुनिश्चित करायेगें। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक--1685/सा0सु0को0, दिनांक 03.09.2020 को इस हद तक संशोधित समझें।

अनुलग्नक–3 पन्ना।

विश्वासभाजन

ह0/-

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़।

ज्ञापांक 1698 /सा0सु0को0, दिनांक 05.09 2020

प्रतिलिपि – प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, अंचल अधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, बाढ़ अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बाढ़।